

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 662]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 — पौष 10, शक 1943

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-23/2020/वा.क.(आब.)/पांच(84).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 62 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) एवं (झ) सहपठित उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में भांग के निजी उपभोग, मिठाई बनाने, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, औषधीय इत्यादि के उपयोग के प्रयोजन हेतु भांग आपूर्ति के नियंत्रण और विनियमन के लिए भांग के संग्रहण (कब्जा), विक्रय, उपयोग, परिवहन, आयात, निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञापत्रों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भांग नियम, 2021 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “मान्य चिकित्सा व्यवसायी” से अभिप्रेत है —

(एक) एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल, आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति से चिकित्सा या दंत चिकित्सा या शल्य चिकित्सा का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए तात्पर्यित पंजी में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई व्यक्ति; या

(दो) कोई व्यक्ति, जो ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान से, जो कि इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र धारण करता है; या

(तीन) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो चिकित्सीय या पशु चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न है और आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित है;

(ख) “अधिनियम” से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915);

- (ग) "भाग" भाग का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (12) में परिभाषित है;
- (घ) "भाग घोटा" भाग घोटा का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (12) में परिभाषित है;
- (ङ) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभार का मुख्य अधिकारी;
- (च) "आबकारी आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन यथा नियुक्त अथवा परिभाषित आबकारी आयुक्त;
- (छ) "आबकारी अधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन यथा नियुक्त अथवा परिभाषित अधिकारी, जो आबकारी उप-निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो;
- (ज) "आबकारी वर्ष" से अभिप्रेत है एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाली वित्तीय वर्ष;
- (झ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञप्तियां;
- (ञ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति धारण करता हो;
- (ट) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त अथवा जिले का कलेक्टर;
- (ठ) "अनुज्ञप्त परिसर" से अभिप्रेत है वह परिसर, जिसके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई हो;
- (ड) "विहित प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ढ) "भंडार गृह" से अभिप्रेत है, राज्य से संबद्ध भाग का भंडार गृह और "अधिकारी" से अभिप्रेत है उस भंडार गृह का प्रभारी अधिकारी;
- (ण) "गोदाम" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा गोदाम के रूप में अनुज्ञप्त या स्थापित स्थान।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

3. भाग के उपयोग पर प्रतिबंध.— भाग का उपयोग, इसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा :-

- (1) इन नियमों के अधीन यथा अनुमोदित निजी उपयोग तथा थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु;
- (2) किसी भी मिटाई बनाने, वैज्ञानिक, औद्योगिक, औषधीय, शैक्षणिक अथवा इस प्रकार के किसी अन्य उद्देश्य हेतु, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर किया जाये।

4. अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञापत्र.— (1) इन नियमों के अधीन निम्नानुसार प्ररूप अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र एवं आवेदन पत्र के लिये विहित किये गये हैं :-

स. क्र.	प्ररूप क्र.	विवरण
1.	प्ररूप एच. डी. 1 (नियम 5 के अधीन)	भाग के थोक में कब्जे एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति
2.	प्ररूप एच. डी. 1(क) (नियम 5 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 1 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप
3.	प्ररूप एच. डी. 2 (नियम 6 के अधीन)	भाग/भाग घोटा का फुटकर कब्जे एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति
4.	प्ररूप एच. डी. 2(क) (नियम 6 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 2 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप
5.	प्ररूप एच. डी. 3 (नियम 7 के अधीन)	भाग के थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भाग के कब्जे एवं उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति
6.	प्ररूप एच. डी. 3(क) (नियम 7 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 3 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

7.	प्ररूप एच. डी. 4 (नियम 8 के अधीन)	भाग/भाग घोटा से मिटाई तैयार करने हेतु अनुज्ञप्ति
8.	प्ररूप एच. डी. 4(क) (नियम 8 के अधीन)	प्ररूप एच.डी. 4 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप
9.	प्ररूप एच डी 5 (नियम 13 के अधीन)	भाग के आयात हेतु अनुज्ञा पत्र
10.	प्ररूप एच. डी. 5(क) (नियम 13 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 5 के अधीन भाग के आयात के लिये अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र का प्ररूप
11.	प्ररूप एच. डी. 6 (नियम 14 के अधीन)	भाग के निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र
12.	प्ररूप एच. डी. 6(क) (नियम 14 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 6 के अधीन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप
13.	प्ररूप एच. डी. 7 (नियम 15 के अधीन)	भाग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र
14.	प्ररूप एच. डी. 7(क) (नियम 15 के अधीन)	प्ररूप एच. डी. 7 के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप
15.	प्ररूप एच. डी. 8 (नियम 31 के अधीन)	भाग के समग्र लेखा पंजी हेतु प्ररूप

- (2) प्ररूप एच. डी.-1 के अधीन अनुज्ञप्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी। शेष समस्त अनुज्ञप्तियां, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रदान की जायेगी।
- (3) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तियां, केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान की जायेगी, जो कि अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु पात्र हो।
- (4) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के प्रदान किये जाने के प्रयोजन के लिये, विहित प्ररूप में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क प्रति आवेदन रु. 500 (पांच सौ रुपये मात्र) पृथकतः देय होगा।
- 5. भाग का थोक कब्जा एवं विक्रय.**— (1) इन नियमों के अधीन भाग के थोक कब्जे एवं विक्रय हेतु प्ररूप एच.डी.-1 में अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। थोक विक्रय अनुज्ञप्तियों की संख्या का निर्धारण, राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। एक से अधिक आवेदकों की स्थिति में, लॉटरी पद्धति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का निर्धारण किया जायेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो भाग का थोक में कब्जा एवं विक्रय करना चाहता है, संबंधित कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को नियम 4 में विहित प्ररूप एच.डी.-1(क) में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (3) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आबकारी आयुक्त, सम्यक् जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर, रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की अग्रिम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान पर विहित प्ररूप एच.डी.-1 में अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
- (4) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :- नियत अनुज्ञप्ति शुल्क, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी, के अग्रिम संदाय किये जाने पर, आबकारी आयुक्त, नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्तिधारी के अच्छे आचरण और स्वच्छ अभिलेख तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सम्यक् रूप से पालन किये जाने के अध्याधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कर सकेगा।
- 6. भाग/भाग घोटा का फुटकर विक्रय एवं कब्जा.**— (1) इन नियमों के अधीन भाग उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार भाग/भाग घोटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्ररूप एच.डी.-2 में भाग/भाग घोटा के फुटकर विक्रय एवं कब्जे हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जा सकेगा :
- परन्तु यह कि शहरी क्षेत्र में दो भाग दुकानों के बीच की दूरी न्यूनतम 5 कि.मी. होना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र में दो भाग दुकानों की बीच की दूरी 20 कि.मी. होना चाहिए।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो भाग का कब्जा एवं फुटकर विक्रय करना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष नियम 4 के अधीन विहित प्ररूप एच.डी.-2 (क) में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, सम्यक् जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर, रुपये 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की अग्रिम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान पर, विहित प्ररूप एच.डी.-2 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

- (4) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :- नियत अनुज्ञप्ति शुल्क, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी, के अग्रिम संदाय किये जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्तिधारी के अच्छे आचरण और स्वच्छ अभिलेख तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सम्यक् रूप से पालन किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कर सकेगा।
7. **अन्य प्रयोजन हेतु भांग का कब्जा एवं परिवहन.**— (1) इन नियमों के अधीन भांग के थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु कब्जे के अलावा अन्य प्रयोजन यथा शैक्षणिक, औषधीय, चिकित्सा उद्देश्य आदि के लिए भांग के उपयोग हेतु प्ररूप एच.डी.-3 में अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। ऐसी अनुज्ञप्तियों में भांग की आपूर्ति, प्ररूप एच.डी.-2 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जायेगी।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो भांग के थोक एवं फुटकर विक्रय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भांग का कब्जा एवं उपयोग करना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को नियम 4 के अधीन विहित प्ररूप एच.डी.-3(क) में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सम्यक् जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) की अग्रिम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान पर, विहित प्ररूप एच.डी.-3 में अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
- (4) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :- नियत अनुज्ञप्ति शुल्क, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी, के अग्रिम संदाय किये जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्तिधारी के अच्छे आचरण और स्वच्छ अभिलेख तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम की उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों को सम्यक् रूप से पालन किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कर सकेगा।
8. **भांग/भांग घोटा से मिठाई बनाने के प्रयोजन हेतु कब्जा एवं परिवहन.**— (1) इन नियमों के अधीन भांग/भांग घोटा का उपयोग कर मिठाई बनाने के उद्देश्य से, प्ररूप एच.डी.-4 में अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। ऐसी अनुज्ञप्तियों में भांग की आपूर्ति, प्ररूप एच.डी.-2 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जायेगी।
- (2) इन नियमों में किसी प्रावधान के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, जो केवल मिठाई बनाने के प्रयोजन से भांग का क्रय, कब्जा, परिवहन एवं उपयोग करना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को नियम 4 के अधीन विहित प्ररूप एच.डी.-4(क) में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सम्यक् जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) की अग्रिम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान पर, विहित प्ररूप एच.डी.-4 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
- (4) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :- नियत अनुज्ञप्ति शुल्क, जो कि समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी, के अग्रिम संदाय किये जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्तिधारी के अच्छे आचरण और स्वच्छ अभिलेख तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सम्यक् रूप से पालन किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कर सकेगा।
9. **कब्जे की सीमा से अधिक मात्रा में भांग के कब्जे और परिवहन के लिए अनुज्ञा.**— अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन विहित अनुसार कब्जे की सीमा की घोषित भांग से अधिक, विहित फीस के संदाय किये जाने पर, आबकारी आयुक्त/कलेक्टर द्वारा प्रदत्त लिखित अनुज्ञा के अंतर्गत कब्जे में रखा जा सकेगा और परिवहन किया जा सकेगा।
10. **अनुज्ञप्ति अवधि एवं शुल्क की गणना.**— (1) कोई भी व्यक्ति भांग का विक्रय नहीं करेगा, जब तक कि वह विहित प्ररूप एच.डी.-1 (नियम 5 में यथा उल्लिखित) या विहित प्ररूप एच.डी.-2 (नियम 6 में यथा उल्लिखित) के अधीन अनुज्ञप्ति धारित न करता हो।
- (2) इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां, आबकारी वर्ष अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। यदि कोई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां, आबकारी वर्ष के मध्य में प्रदाय की जाती हैं, तो उसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त मानी जायेगी।
- (3) यदि कोई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां, इन नियमों के अधीन आबकारी वर्ष के किसी भाग के लिए प्रदान की जाती हैं, तो अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि, उस आबकारी वर्ष की अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि के बराबर होगी।
11. **अनुज्ञप्त मात्रा में कमी अथवा वृद्धि करना.**— अनुज्ञापन प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई किसी भी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों में वर्णित भांग की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि कर सकेंगे।

12. **राज्य के भीतर भांग पर शुल्क.**— इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत भांग, शुल्क रु 50/— (पचास रुपये मात्र) प्रति किलोग्राम की दर से देय होगा। भांग पर शुल्क का भुगतान, भांग के क्रेता द्वारा किया जायेगा। ऐसे शुल्क का भुगतान, भांग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के पूर्व, किया जाना अनिवार्य होगा।
13. **आयात.**— (1) विहित प्ररूप एच.डी.-1 का अनुज्ञप्तिधारी, जो भांग का आयात करना चाहता है, नियम 4 में विहित अनुसार प्ररूप एच.डी.-5(क) में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के सम्यक् जांच के उपरांत तथा उस पर संतुष्ट होने के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी, विहित प्ररूप एच.डी.-5 में अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा।
- (2) आयात अनुज्ञा पत्र के प्रयोजन हेतु राशि रु. 100/— (एक सौ रुपये मात्र) प्रति किलोग्राम की दर से आयात शुल्क देय होगी, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।
- (3) विहित प्ररूप एच.डी.-5 में आयात अनुज्ञा पत्र, चार भागों में होगा तथा निम्नानुसार प्रेषित किया जायेगा, अर्थात् :-
- भाग एक— जिस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा।
- भाग दो— उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भांग की आपूर्ति करने वाला है।
- भाग तीन— उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिये परेषण (कन्साइनमेंट) होगा, तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में दर्ज रहेगा।
- भाग चार— उस स्थान, जहां से भांग का आयात किया जा रहा है, वहां के आबकारी आयुक्त/आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
14. **निर्यात.**— (1) विहित प्ररूप एच.डी.-1 का अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति, जो भांग का निर्यात करना चाहता है, नियम 4 में विहित अनुसार प्ररूप एच.डी.-6(क) में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के सम्यक् जांच और उस पर संतुष्ट होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, विहित प्ररूप एच.डी.-6 में निर्यात अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा।
- (2) निर्यात अनुज्ञा पत्र के प्रयोजन हेतु रु. 50/— (पचास रुपये मात्र) प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क देय होगी, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।
- (3) विहित प्ररूप एच.डी.-6 में निर्यात अनुज्ञा पत्र, चार भागों में होगा तथा निम्नानुसार प्रेषित किया जायेगा, अर्थात् :-
- भाग एक — जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा।
- भाग दो — उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भांग की आपूर्ति करने वाला है।
- भाग तीन— उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिये परेषण (कन्साइनमेंट) होगा, तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में दर्ज रहेगा।
- भाग चार — उस स्थान, जहां पर भांग का निर्यात किया जा रहा है, वहां के आबकारी आयुक्त/आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
15. **परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र.**— (1) इन नियमों के अधीन प्ररूप एच.डी.-1, एच.डी.-2, एच.डी.-3 एवं एच.डी.-4 अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो भांग का परिवहन करना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, नियम-4 में दिये गये विहित प्ररूप एच.डी.-7(क) में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, सम्यक् सत्यापन एवं दी गई जानकारी से संतुष्ट होने पर तथा अनुज्ञा पत्र देने में कोई आपत्ति न होने पर, वह विहित प्ररूप एच.डी.-7 में, रु. 200/— (दो सौ रुपये मात्र) प्रति परेषण अग्रिम परिवहन शुल्क जमा करने पर, अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा।
- (3) विहित प्ररूप एच.डी.-7 में परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र, चार भागों में होगा तथा निम्नानुसार प्रेषित किया जायेगा, अर्थात् :-
- भाग एक— जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा।
- भाग दो— उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भांग की आपूर्ति करने वाला है।

- भाग तीन— उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिये परेषण (कन्साइनमेंट) होगा, तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में दर्ज रहेगा।
- भाग चार— उस स्थान के आबकारी आयुक्त/आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, जहां पर भांग का परिवहन किया जा रहा है।
16. **भंडार गृह में प्रवेश करने वाला व्यक्ति तलाशी लिए जाने के योग्य होगा.**— भंडार गृह में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति, वहां से प्रस्थान के समय तलाशी लिए जाने योग्य है, जब तक कि वह प्रभारी अधिकारी से ऐसी तलाशी में छूट का पास धारित नहीं करता है। ऐसी छूट, किसी भी समय वापस ली जा सकेगी।
17. **परिवहन क्षतियां.**— भंडार गृह और गोदाम के बीच परिवहन के दौरान कोई क्षति होने पर, जब प्रति बैग (प्रत्येक बैग की क्षमता 5 किलोग्राम की हो) 35 ग्राम से अधिक न हो तो, जिला आबकारी अधिकारी, निर्वतन कर सकेगा; और जब 35 ग्राम से अधिक हो, किन्तु 60 ग्राम प्रति बैग न हो, तो जिला कलेक्टर निर्वतन कर सकेगा; और जब 60 ग्राम से अधिक हो तो, आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी, क्षति का निर्वतन कर सकेगा।
18. **फुटकर विक्रेताओं को निकासी.**— राज्य शासन द्वारा विहित दरों पर ड्यूटी राशि कोषालय में पूर्व संदाय किये जाने पर, या तो एक किलोग्राम या आधे किलोग्राम के थैलों में गोदामों में फुटकर विक्रेताओं को निकासियां की जाएंगी।
19. औषधियों तथा प्रसाधन निर्मितियों के वास्तविक विनिर्माताओं तथा प्ररूप एच.डी.-2 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण करने वाले को, भांग का प्रदाय, प्रचलित दर पर शासकीय कोषालय में शुल्क के पूर्व संदाय पर, एक किलो या आधा किलो के थैलों में किया जाएगा।
20. राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन या प्रबंधन के अधीन कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा अपेक्षित भांग की प्रचलित दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जैसा कि निर्धारित की जाये, शासकीय कोषालय में शुल्क के पूर्व संदाय किए जाने पर, निकासी की जा सकेगी। यदि किसी कारणवश, प्ररूप एच.डी.-1 के स्थानीय अनुज्ञप्तिधारी से भांग नहीं लिया जाना हो, तो आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के उपरांत, राज्य के भीतर प्ररूप एच.डी. 1 के अन्तर्गत अन्य प्रदायकर्ता से भांग प्राप्त की जा सकेगी।
21. **अनुपयुक्त भांग का निपटान.**— जब राज्य की दो अथवा दो वर्षों से अधिक की पुरानी कोई भांग, उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, तो वह आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नष्ट कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
22. **कब्जे की वैधानिक सीमा से अधिक का आयात.**— राज्य शासन की ओर से आयात को छोड़कर, जब तक कि आयातक का व्यक्तिगत कब्जा न हो और ऐसी मात्रा से अधिक न हो, जो कि बिना अनुज्ञप्ति के रखा जा सके, भांग का आयात प्रतिबंधित है।
23. **भांग का आयात.**— आबकारी आयुक्त के आदेशों/अनुमति के अधीन प्ररूप एच.डी.1 में अनुज्ञप्तिधारी गोदामों से भांग का आयात कर सकेगा। किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा भांग का आयात पूर्णतः प्रतिबंधित है।
24. **भांग का निर्यात.**— अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (12) के उप-खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट मादक द्रव्यों का निर्यात, राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित है। भांग का निर्यात अनुज्ञापत्र, प्ररूप एच.डी.-6 में विहित अनुज्ञप्ति के अंतर्गत होगा।
25. **डाक द्वारा प्रेषण.**— अपने कर्तव्य के सद्भावपूर्वक पालन करने में राज्य शासन के सेवक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, राज्य में राज्य के बाहर या अन्दर डाक द्वारा भांग का संप्रेषण नहीं करेगा।
26. अन्तर्देशी डाक द्वारा भांग का संप्रेषण प्रतिबंधित है।
27. **शुल्क दरें.**— राज्य में विक्रय के लिए गोदाम से निकासी के पूर्व भांग पर देय शुल्क, ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित किया जाये।
28. **भांग का संग्रहण और इसका मापन.**— अनुज्ञप्तिधारी, जिनके पास विहित प्ररूप एच.डी.-1, एच.डी.-2, एच.डी.-3 या एच.डी.-4 अनुज्ञप्ति हो तो, जहां/जिसमें भांग संग्रहित किया गया है, इसे हमेशा अच्छी स्थिति में साफ-सुथरा रखेगा एवं माप हेतु प्रामाणिक तराजू (बाट) रखेगा।
29. **भांग का हटाया जाना एवं अनुज्ञप्ति से संबंधित विवरण.**— (1) भांग आधिपत्य हेतु विहित मात्रा के सिवाय, कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी मात्रा में संग्रहित भांग को अनुज्ञप्त परिसर से नहीं हटायेगा और न ही किसी को ऐसा करने की अनुमति देगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्त परिसर में प्रदर्शित करेगा तथा अनुज्ञप्ति से संबंधित विवरण, प्रदर्शन पटल के माध्यम से प्रदर्शित भी करेगा।

30. **भाग का लेखा एवं निरीक्षण आदि.**— (1) इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के परिसर में संग्रहित भाग का समग्र लेखा, विहित प्ररूप एच.डी.—8 में संधारित किया जायेगा।
 (2) जांचकर्ता अधिकारी को गुणवत्ता की जांच हेतु, बिना मूल्य के, भाग उपलब्ध कराया जायेगा।
 (3) उक्त समस्त प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी, एक निरीक्षण पुस्तिका का संधारण करेगा, जिसे जांचकर्ता अधिकारी की मांग पर उपलब्ध करायेगा।
 (4) जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा पंजी, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर में भाग संग्रहण हेतु धारित पात्र को, निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार खुला रखा जायेगा।
31. **व्यवसाय का समापन.**— यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो अपना व्यवसाय समाप्त करना चाहता है, बंद करने के एक माह पूर्व इसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, आवश्यक जांच के उपरांत, नियमानुसार आवेदन का निराकरण करेगा।
32. **घरेलू कार्य हेतु कब्जा एवं परिवहन.**— (1) उपरोक्त उपबंधित किन्हीं नियमों के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, बिना किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के, केवल निजी उपभोग अथवा घरेलू कार्य के प्रयोजन हेतु एक निश्चित मात्रा तक भाग अपने पास रख सकेगा या उसका परिवहन कर सकेगा। भाग की यह मात्रा, एक समय में 115 ग्राम से अधिक नहीं होगी।
 (2) निजी उपभोग तथा घरेलू कार्य हेतु भाग का क्रय, केवल इन नियमों के अधीन जारी विहित प्ररूप एच.डी.—2 के अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से ही किया जा सकेगा।
33. **हानियां, इनकी सीमा एवं शास्ति.**— (1) इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति में, हानि की सीमा निम्नानुसार होगी:—
 (एक) भण्डारण हानि :— भण्डारण हानि की अनुज्ञेय सीमा, एक समय में संग्रहित भाग की कुल मात्रा के अधिकतम एक प्रतिशत तक होगी।
 (दो) परिवहन हानि :— परिवहन के दौरान परिवहित भाग की कुल मात्रा के अधिकतम एक प्रतिशत तक अनुज्ञेय होगी।
34. **शास्तियां.**— अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन नियमों के किसी भी नियम अथवा स्वीकृत की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन नियत शास्ति/संधान शुल्क अधिरोपित की जायेगी।
35. **अनुज्ञप्ति का निलम्बन एवं निरस्तीकरण.**— अनुज्ञापन प्राधिकारी, इन नियमों के किसी नियम अथवा अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेश का उल्लंघन होने पर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेंगे।
36. **प्रतिभूति.**— इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क के 25 प्रतिशत की समतुल्य राशि की नगद प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति निक्षेप (गारंटी) देगा। उस दशा में, जब किसी अनुज्ञप्तिधारी पर अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के व्यतिक्रम/उल्लंघन के कारण कोई शास्ति/संधान शुल्क अधिरोपित किया जाता है, तब इस प्रकार अधिरोपित शास्ति/संधान शुल्क का उसके द्वारा तत्काल संदाय किया जायेगा और व्यतिक्रम की दशा में, शास्ति/संधान शुल्क की रकम यथा पूर्वोक्त नगद प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति से वसूल कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में, इसको (बैंक प्रतिभूति या नगद प्रतिभूति को), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 7 दिवस के भीतर उस सीमा तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
37. **कठिनाईयों का निराकरण.**— इन नियमों के संबंध में किसी विवाद या संशय की दशा में, आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किया गया निर्णय/निर्देश अंतिम होगा।
38. किसी दैवीय विपत्ति आदि के कारण अनुज्ञप्तिधारी को हुई हानि का भार, शासन द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
39. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ 10-23/2020/वा.क.(आब.)/पांच(84).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-12-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

प्ररूप एच.डी-1
(नियम 5 देखिये)

भाग के थोक कब्जे एवं बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या -..... वर्ष

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये रूपये (अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसीलजिले में स्थित जो नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, एतद्वारा श्री.....को भाग का थोक, कब्जा एवं विक्रय हेतु.....सेतक की अवधि हेतु एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुये यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्त परिसर से भिन्न किसी भी अन्य स्थान पर न तो भाग रखेगा और न ही उसका विक्रय करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना, अनुज्ञप्त परिसर में क्रय की गई भाग से भिन्न किसी भी अन्य भाग को न तो प्राप्त करेगा और न ही रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्तियों को भाग का विक्रय नहीं करेगा, जो विहित प्ररूप एच.डी.-2, में भाग की अनुज्ञप्ति धारित न करते हो।
4. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, नियम-3 में किसी अन्य प्रयोजन हेतु यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर भाग का विक्रय नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, विहित पंजी में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये मांगा जाए, तो लेखा पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, समस्त अनुज्ञा एवं समस्त अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में भाग की प्रारंभिक बचत, आमद, विक्रय एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी, आगामी माह की 07 तारीख तक संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। साथ ही ऐसी विवरणी और अन्य सूचनाएं, जो समय समय पर उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाएगी।
7. अनुज्ञप्तिधारी, परिसर की समुचित देखरेख और भाग संग्रहण के समस्त पात्रों की तथा अनुज्ञप्त परिसर की सफाई एवं स्वच्छता के लिये उत्तरदायी होगा।
8. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गए किसी आदेश के उल्लंघन पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

9. अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

स्थल का वर्णन (1)	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर (2)	पूर्व (3)	दक्षिण (4)	पश्चिम (5)

दिनांक.....

सत्यापनकर्ता
आबकारी अधिकारी,

प्ररूप-एच.डी-1(क)
(नियम 5 देखिये)

भाग के थोक कब्जे एवं बिक्री के लिए
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन

आवेदक का
स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- भाग के थोक कब्जे एवं बिक्री हेतु एच.डी.-1 अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन ।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :- आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई निवास का पता :- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (6) (1)फोन नम्बर(2) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) समयावधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति :-
की आवश्यकता है
- (9) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण
- (10) अन्य विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये, तो मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है, तो मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, मैं/हम इस तथ्य से भिन्न हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संलग्न : -

- (1)
- (2)

प्ररूप एच.डी.-2
(नियम 6 देखिये)

भाग के फुटकर कब्जे एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या -..... वर्ष

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रूपयेरूपये (अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित जो नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, एतद्वारा श्री..... को भाग के फुटकर विक्रय एवं कब्जा हेतु.....से.....तक की अवधि हेतु एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्त परिसर से भिन्न किसी भी अन्य स्थान पर न तो भाग रखेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त परिसर में प्ररूप एच.डी.-1 से क्रय की गई भाग के अलावा अन्य भाग का स्टॉक नहीं रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान, नियम-3 के अधीन प्ररूप एच.डी.-3/एच.डी.-4 में अनुज्ञप्तिधारी को निजी उपभोग हेतु फुटकर विक्रय को छोड़कर किसी भी अन्य उद्देश्य के लिये भाग का विक्रय नहीं करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, निजी उपभोग हेतु नियमानुसार एक बार में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा का विक्रय नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, विहित पंजी में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये मांगा जाए, तो लेखा पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, समस्त अनुज्ञापन एवं समस्त अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में भाग की प्रारंभिक बचत, आमद, विक्रय एवं पश्चात् अंतिम बचत की मासिक विवरणी आगामी माह की 7 तारीख तक संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा साथ ही ऐसी विवरणी और अन्य सूचनाएं, जो समय समय पर उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जायेगी।
7. अनुज्ञप्तिधारी, परिसर की समुचित देखरेख और भाग संग्रहण के समस्त पात्रों की तथा अनुज्ञप्त परिसर की सफाई एवं स्वच्छता के लिये उत्तरदायी होगा।
8. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गए किसी आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।
9. अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बंधनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक.....

सत्यापनकर्ता
आबकारी अधिकारी,

प्ररूप-एच.डी.- 2(क)
(नियम 6 देखिये)

भाग के फुटकर विक्रय एवं कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति
प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

आवेदक का
स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला- (छत्तीसगढ़)

विषय :- भाग के फुटकर विक्रय एवं कब्जे के लिए एच.डी.-2 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :-आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता :- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (ब) पत्र व्यवहार हेतु पता:- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (6) (1)फोन नम्बर(2) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) समयावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति :-
की आवश्यकता है।
- (9) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण
- (10) अन्य विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है, तो मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिन्न हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

संलग्न :-

- (1)
- (2)

प्ररूप-एच.डी.-3
(नियम 7 देखिये)

भाग के थोक एवं फुटकर विक्रय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु कब्जे एवं उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या -..... वर्ष

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये (अंकों में)..... रूपये (अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित, जो नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, एतद्वारा श्री..... को भाग का..... प्रयोजन हेतु.....से.....तक की अवधि हेतु एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुये यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्त परिसर से भिन्न किसी भी अन्य स्थान पर न तो भाग रखेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित भाग की अधिकतम मात्रा से अधिक भाग अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त परिसर में प्ररूप एच.डी.-2 से क्रय की गई भाग के अलावा अन्य मात्रा में भाग का स्टाक नहीं रखेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी विहित पंजी में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये मांगा जाए, तो लेखा पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, समस्त अनुज्ञा पत्र एवं समस्त अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर में भाग की प्रारंभिक बचत, आमद, विक्रय एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी आगामी माह की 7 तारीख तक संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी के माध्यम से अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। साथ ही ऐसी विवरणी और अन्य सूचनाएँ, जो समय समय पर उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाएगी।
6. अनुज्ञप्तिधारी परिसर की समुचित देखरेख और भंडारण के समस्त पात्रों की तथा अनुज्ञप्त परिसर की सफाई एवं स्वच्छता के लिये उत्तरदायी होगा।
7. अनुज्ञप्तिधारीउद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए भाग का उपयोग नहीं करेगा।
8. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गए किसी आदेश के उल्लंघन पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।
9. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बंधनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी /जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक.....

सत्यापनकर्ता
आबकारी अधिकारी,

प्ररूप-एच.डी.-3(क)

(नियम 7 देखिये)

(भाग के थोक एवं फुटकर विक्रय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु कब्जे एवं उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र)

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला- (छ.ग.)

आवेदक का
स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

विषय :- भाग के थोक एवं फुटकर विक्रय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु कब्जे एवं उपयोग हेतु एच.डी.-3 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :- आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता :- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (ब) पत्र व्यवहार हेतु पता:- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (6) (1) फोन नम्बर (2) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) भाग रखे जाने एवं :- ग्राम/नगर.....तहसील.....
उपयोग किये जाने का स्थान जिला.....राज्य.....
- (9) अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु
विशेष कारण (प्रयोजन) :-
- (10) अनुज्ञप्ति वर्ष की अवधि के दौरान उपयोग किये गये भाग की कुल मात्रा
- (11) समयावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति
की आवश्यकता है :-
- (12) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण
- (13) अन्य विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है, तो मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिन्न हूँ/हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संलग्न : -

(1)

(2)

प्ररूप—एच.डी.— 4
(नियम 8 देखिये)

भाग/भाग घोटा से मिटाई बनाने हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या —..... वर्ष

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन और वार्षिक अनुज्ञप्ति रूपये.....रूपये (अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित जो नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, एतद्वारा श्री..... को भाग की मिटाई बनाने में उपयोग हेतु.....से.....तक की अवधि हेतु एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुये यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्त परिसर से भिन्न किसी भी अन्य स्थान पर न तो भाग रखेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त परिसर में प्ररूप एच.डी.-1 अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की गई भाग के अलावा अन्य मात्रा में भाग का स्टॉक नहीं रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, भाग को एच.डी.-2 अनुज्ञप्तिधारी से क्रय करने के पश्चात् परेषण को स्वयं के अनुज्ञप्त परिसर में लाने तक परिवहन के दौरान मार्ग में नहीं खोलेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, भाग का उपयोग मिटाई बनाने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, विहित पंजी में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये मांगा जाए, तो लेखा पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, समस्त अनुज्ञापत्र एवं समस्त अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में भाग की प्रारंभिक बचत, आमद, विक्रय एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी आगामी माह की 7 तारीख तक संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। साथ ही ऐसी विवरणी और अन्य सूचनाएं, जो समय समय पर उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जायेंगी।
7. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गए किसी आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।
- 8.. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बंधनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक.....

सत्यापनकर्ता
आबकारी अधिकारी

प्ररूप-एच.डी.- 4(क)
(नियम 8 देखिये)

भाग/भाग घोटा से मिठाई बनाने के लिए
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन

आवेदक का
स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज का
फोटोग्राफ

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला- (छत्तीसगढ़)

विषय :- भाग/भाग घोटा से मिठाई में उपयोग के लिए एच.डी.-4 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :- आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता :- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता:- निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (6) (1) फोन नम्बर(2) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) भाग रखे जाने एवं : निवासी.....ग्राम/नगर.....तहसील.....
उपयोग किये जाने का स्थान जिला.....राज्य.....
- (9) भाग की अधिकतम मात्रा, जिसे एक वित्तीय वर्ष में उपयोग हेतु निर्धारित किया जाना है
(किलोग्राम में)
- (10) समयावधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति :-
- की आवश्यकता है।
- (11) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण
- (12) अन्य विवरण :-

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञप्ति जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है, तो मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिन्न हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संलग्न :-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

प्ररूप एच.डी.-5
(नियम 13 देखिये)

भाग के आयात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग एक— जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक —..... / दिनांक
2. भाग की मात्रा, जिसका आयात किया जाना है (किलोग्राम में).....
3. व्यक्ति का नाम, जिससे भाग आयात किया जाना है:— श्री.....पिता/पति श्री.....
.....उम्र.....निवासी.....अनुज्ञापत्र का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. स्थान, जहां से भाग का आयात किया जाना है
5. स्थान, जहां के लिये भाग को प्राप्त किया जा रहा है
6. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यो के मुख्य स्थानों के नाम सहित).....
.....
7. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क रुपये (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.
.....तहसील.....जिले में स्थित श्रीआयातक को भाग के आयात हेतु एतद्वारा यह आयात अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
8. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र आयात हेतु वैध रहेगा
9. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा आयात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.- 5

(नियम 13 देखिये)

भाग के आयात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग दो- उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भाग की आपूर्ति करने वाला है)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक -..... / दिनांक
2. भाग की मात्रा, जिसका आयात किया जाना है (किलोग्राम में).....
3. व्यक्ति का नाम, जिससे भाग आयात किया जाना है:-श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....निवासी..... अनुज्ञापत्र का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. स्थान, जहां से भाग का आयात किया जाना है
5. स्थान, जहां के लिये भाग को प्राप्त किया जा रहा है
6. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित)
7. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क रूपये.....
(अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्रीआयातक को भाग के आयात हेतु एतद्द्वारा यह आयात अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
8. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र आयात हेतु वैध रहेगा
9. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा आयात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.- 5

(नियम 13 देखिये)

भांग के आयात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग तीन- उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिए परेषण होगा, तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में दर्ज रहेगा।)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक -..... / दिनांक
2. भांग की मात्रा, जिसका आयात किया जाना है (किलोग्राम में).....
3. व्यक्ति का नाम, जिससे भांग आयात किया जाना है:- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....निवासी.....अनुज्ञापत्र
का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. स्थान, जहां से भांग का आयात किया जाना है
5. स्थान, जहां के लिये भांग को प्राप्त किया जा रहा है
6. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
7. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भांग पर शुल्क रूपये
(अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्री
.....आयातक को भांग के आयात हेतु एतद्द्वारा यह आयात अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
8. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र आयात हेतु वैध रहेगा
9. भांग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा आयात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.- 5
(नियम 13 देखिये)

भांग के आयात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग चार- उस स्थान, जहां से भांग का आयात किया जा रहा है, वहां के आबकारी आयुक्त/आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक - / दिनांक
2. भांग की मात्रा, जिसका आयात किया जाना है (किलोग्राम में).....
3. व्यक्ति का नाम, जिससे भांग आयात किया जाना है:- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....निवासी.....अनुज्ञापित
का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. स्थान, जहां से भांग का आयात किया जाना है
5. स्थान, जहां के लिये भांग को प्राप्त किया जा रहा है
6. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
7. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भांग पर शुल्क रूपये
(अक्षरों में)जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्री
.....आयातक को भांग के आयात हेतु एतद्वारा यह आयात अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
8. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र आयात हेतु वैध रहेगा
9. भांग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा आयात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.- 5(क)
(नियम 13 देखिये)

भाग के आयात के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति,

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- भाग के आयात के लिए एच. डी.-5 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम
- (2) पिता/पति का नाम
- (3) लिंग
- (4) जन्म तिथि आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता : निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (ब) पत्र व्यवहार हेतु पता:-निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- (6) (अ)फोन नम्बर(ब) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) भाग की मात्रा, जिसका आयात किया जाना है (किलोग्राम में)
- (9) व्यक्ति का नाम, जिससे
भाग आयात किया जाना है :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....तहसील.....
जिला.....राज्य.....
फोन/मोबाईल/फैक्स नम्बर
- ई-मेल आई.डी.
- (10) स्थान, जहां से भाग का आयात किया जाना है :-.....
- (11) स्थान, जहां के लिये भाग को प्राप्त किया जा रहा है
- (12) आयात के दौरान परेषण परिवहन का मार्ग
- (13) आयात हेतु अनुज्ञा पत्र की समयावधि
- (14) जमा की गई आयात फीस का विवरण.....
- (15) अन्य विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न :-

- (1)
- (2)

प्ररूप एच. डी.-6
(नियम 14 देखिये)

भाग के निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग एक – जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक –..... / दिनांक
2. आयातक राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र का विवरण:
3. अनुज्ञापतिधारी का नाम:- श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. भाग की मात्रा, जिसका निर्यात किया जाना है (किलोग्राम में)
5. व्यक्ति का नाम, जिसे निर्यात किया जा रहा है श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी..... ग्राम/नगर..... तहसील.....
जिला..... राज्य.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
6. स्थान, जहां से भाग भाग का निर्यात किया जाना है
7. स्थान, जहां के लिये भाग को निर्यात किया जा रहा है
8. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित).....
.....
9. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क रूपये..... (अक्षरो में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
ग्राम/नगर..... तहसील..... जिले में स्थित श्री..... निर्यातक को भाग के निर्यात हेतु एतद्द्वारा यह निर्यात अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है।
10. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र निर्यात हेतु वैध रहेगा
11. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा निर्यात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच. डी.-6

(नियम 14 देखिये)

भांग के निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग दो- उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भांग की आपूर्ति करने वाला है)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक - / दिनांक
2. आयातक राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र का विवरण -
3. अनुज्ञापतिधारी का नाम:- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....तहसील.....
जिला.....राज्य.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. भांग की मात्रा, जिसका निर्यात किया जाना है (किलोग्राम में)
5. व्यक्ति का नाम, जिसे निर्यात किया जा रहा है श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
6. भांग का निर्यात किया जाना है 6. स्थान, जहां से
7. स्थान, जहां के लिये भांग को निर्यात किया जा रहा है
8. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित).....
9. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भांग पर शुल्क रूपये (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्री.....निर्यातक को भांग के निर्यात हेतु एतद्वारा यह निर्यात अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है।
10. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र निर्यात हेतु वैध रहेगा
11. भांग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा निर्यात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.-6
(नियम 14 देखिये)

भांग के निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग तीन- उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिये परेषण होगा तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में दर्ज रहेगा।)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक - / दिनांक
2. आयातक राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र का विवरण -
3. अनुज्ञापतिधारी का नाम:- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....तहसील.....
जिला.....राज्य.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. भांग की मात्रा, जिसका निर्यात किया जाना है (किलोग्राम में)
5. व्यक्ति का नाम, जिसे निर्यात किया जा रहा है श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
6. भांग का निर्यात किया जाना है 6. स्थान, जहां से
7. स्थान, जहां के लिये भांग को निर्यात किया जा रहा है
8. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित).....
.....
9. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भांग पर शुल्क रूपये (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्री.....निर्यातक को भांग के निर्यात हेतु एतद्वारा यह निर्यात अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है।
10. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र निर्यात हेतु वैध रहेगा
11. भांग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा निर्यात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच.डी.-6
(नियम 14 देखिये)

भांग के निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग चार- उस स्थान, जहां पर भांग का निर्यात किया जा रहा है, वहां के आबकारी आयुक्त/आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक - / दिनांक
2. आयातक राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र का विवरण -
3. अनुज्ञापतिधारी का नाम:- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....तहसील.....
जिला.....राज्य.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
4. भांग की मात्रा, जिसका निर्यात किया जाना है (किलोग्राम में)
5. व्यक्ति का नाम, जिसे निर्यात किया जा रहा है श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....
अनुज्ञापति का प्रकार एवं क्रमांक.....
6. 6. स्थान, जहां से भांग का निर्यात किया जाना है
7. स्थान, जहां के लिये भांग को निर्यात किया जा रहा है
8. परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे राज्यों के मुख्य स्थानों के नाम सहित).....
9. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भांग पर शुल्क रूपये (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
ग्राम/नगर.....तहसील.....जिले में स्थित श्री.....निर्यातक को भांग के निर्यात हेतु एतद्वारा यह निर्यात अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है।
10. दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र निर्यात हेतु वैध रहेगा
11. भांग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा निर्यात किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच. डी.-6 (क)
(नियम 14 देखिये)

भाग के निर्यात के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- भाग निर्यात के लिए एच.डी.-6 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :- आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता :- निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
- (ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :- निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
- (6) (अ)फोन नम्बर(ब) मोबाईल नम्बर
- (7) ई-मेल आई.डी.
- (8) भाग की मात्रा, जिसका निर्यात किया जाना है (किलोग्राम में)
- (9) व्यक्ति का नाम/पता, जिसे भाग निर्यात किया जाना है: श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी..... ग्राम/नगर..... तहसील.....
जिला..... राज्य.....
फोन/मोबाईल नम्बर
ई-मेल आई.डी.
- (10) स्थान, जहां से भाग का निर्यात किया जाना है
- (11) स्थान, जहां के लिये भाग निर्यात किया जाना है
- (12) निर्यात के दौरान परेषण परिवहन का मार्ग
- (13) निर्यात हेतु अनुज्ञा पत्र की समयावधि
- (14) निर्यात अनुज्ञा पत्र हेतु जमा की गई
- निर्यात फीस का विवरण
- (15) आयातक राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण (मूल प्रति संलग्न करें)
- (16) अन्य विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

संलग्न :

(1)

(2)

प्ररूप एच. डी.-7
(नियम 15 देखिये)

भाग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग एक—जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, उनके कार्यालय में कार्यालयीन प्रति के रूप में रखा जायेगा)

- 1 अनुज्ञा पत्र क्रमांक —..... / दिनांक
- 2 अनुज्ञापत्र धारी का नाम :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- 3 अनुज्ञापत्र धारी के अनुज्ञापत्र का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 4 भाग की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (किलोग्राम)
- 5 (क) स्थान, जहां से भाग का परिवहन किया जाना है
- (ख) स्थान, जहां के लिये भाग का परिवहन किया जा रहा है
- 6 व्यक्ति का नाम, जिसे परिवहन हेतु प्राधिकृत किया गया है :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञापत्र का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 7 व्यक्ति का नाम, जिससे भाग प्राप्त किया जा रहा है: श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञापत्र का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 8 परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
- 9 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
नगर.....जिले में स्थित श्रीको भाग के परिवहन हेतु एतद्वारा यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
- 10 दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु वैध रहेगा :-
11. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा परिवहन किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच. डी.-7
(नियम 15 देखिये)

भाग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग दो- उस व्यक्ति को भेजा जायेगा, जो भाग की आपूर्ति करने वाला है)

- 1 अनुज्ञा पत्र क्रमांक - / दिनांक
- 2 अनुज्ञापत्र धारी का नाम :- श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
- 3 अनुज्ञापत्र धारी के अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 4 भाग की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (किलोग्राम)
- 5 (क) स्थान, जहां से भाग का परिवहन किया जाना है
- (ख) स्थान, जहां के लिये भाग का परिवहन किया जा रहा है
- 6 व्यक्ति का नाम, जिसे परिवहन हेतु प्राधिकृत किया गया है :- श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 7 व्यक्ति का नाम, जिससे भाग प्राप्त किया जा रहा है: श्री.....
पिता/पति श्री..... उम्र.....
निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 8 परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
- 9 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
नगर.....जिले में स्थित श्रीको भाग के परिवहन हेतु
एतद्वारा यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
- 10 दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु वैध रहेगा :-
11. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा परिवहन किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच. डी.-7
(नियम 15 देखिये)

भाग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग तीन – उस आवेदक को दिया जायेगा, जिसके लिये परेषण होगा, तथा परेषित वस्तु के प्राप्त होने पर, उसके नाम से अभिलेख के रूप में रहेगा)

- 1 अनुज्ञा पत्र क्रमांक –..... / दिनांक
- 2 अनुज्ञापत्र धारी का नाम :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- 3 अनुज्ञापत्र धारी के अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 4 भाग की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (किलोग्राम)
- 5 (क) स्थान, जहां से भाग का परिवहन किया जाना है
- (ख) स्थान, जहां के लिये भाग का परिवहन किया जा रहा है
- 6 व्यक्ति का नाम, जिसे परिवहन हेतु प्राधिकृत किया गया है :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 7 व्यक्ति का नाम, जिससे भाग प्राप्त किया जा रहा है: श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 8 परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
- 9 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
नगर.....जिले में स्थित श्रीको भाग के परिवहन हेतु एतद्वारा यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
- 10 दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु वैध रहेगा :-
11. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा परिवहन किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप एच. डी.-7
(नियम 15 देखिये)

भाग के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र

(भाग चार— उस स्थान, जहां भाग का परिवहन किया जा रहा है, वहां के आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

- 1 अनुज्ञा पत्र क्रमांक —..... / दिनांक
- 2 अनुज्ञापत्र धारी का नाम :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
- 3 अनुज्ञापत्र धारी के अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 4 भाग की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (किलोग्राम)
- 5 (क) स्थान, जहां से भाग का परिवहन किया जाना है
- (ख) स्थान, जहां के लिये भाग का परिवहन किया जा रहा है
- 6 व्यक्ति का नाम, जिसे परिवहन हेतु प्राधिकृत किया गया है :- श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 7 व्यक्ति का नाम, जिससे भाग प्राप्त किया जा रहा है: श्री.....
पिता/पति श्री.....उम्र.....
निवासी.....ग्राम/नगर.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक.....
- 8 परेषण परिवहन का मार्ग (रास्ते के परिवहन में आ रहे मुख्य स्थानों के नाम सहित):-
- 9 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) एवं उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ भाग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 के अधीन भाग पर शुल्क (अक्षरों में)
.....जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में,
नगर.....जिले में स्थित श्रीको भाग के परिवहन हेतु एतद्वारा यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
- 10 दिनांक, जब तक अनुज्ञा पत्र परिवहन हेतु वैध रहेगा :-
11. भाग की संपूर्ण मात्रा का एक ही परेषण द्वारा परिवहन किया जायेगा तथा उसे परिवहन के दौरान रास्ते में नहीं खोला जायेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप-एच. डी.- 7(क)
(नियम 15 देखिये)

भाग परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला- (छ.ग.)

विषय :- भाग परिवहन के लिए एच.डी.-7 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन ।

- (1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का नाम :-
- (2) पिता/पति का नाम :-
- (3) लिंग :-
- (4) जन्म तिथि :- आयु.....
- (5) पता (अ) स्थाई पता :- निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता:- निवासी..... ग्राम/नगर.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....

(6) (अ)फोन नम्बर (ब) मोबाईल नम्बर

(7) ई-मेल आई.डी.

(8) आवेदक की अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक -.....

(9) भाग की मात्रा, जिसका परिवहन किया जाना है (किलोग्राम में)

(10) व्यक्ति का नाम, जिससे भाग
परिवहन किया जाना है : श्री.....

पिता/पति श्री..... उम्र.....

निवासी..... तहसील..... जिला..... राज्य.....

अनुज्ञप्ति का प्रकार एवं क्रमांक फोन/मोबाईल नम्बर

ई-मेल आई.डी.

(11) स्थान, जहां से भाग का परिवहन किया जाना है

(12) स्थान, जहां के लिये भाग परिवहन किया जाना है

(13) परिवहन के दौरान परेषण परिवहन का मार्ग

(14) परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र की समयावधि

(15) आवेदन फीस की राशि जमा का विवरण

(16) परिवहन अनुज्ञा पत्र हेतु जमा की गई
परिवहन फीस का विवरण

(17) अन्य विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

संलग्न :

(1)

(2)

Atal Nagar, the 31st December 2021

NOTIFICATION

No. F 10-23/2020/CT/(EX)/V(84).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18 and sub-section (1) and clause (f), (g), (h) and (i) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following rules for the storage (possession), sale, use, transportation, import, export, for license and permit for the control and regulation of the supply of bhang for the purpose of personal consumption, making sweets, scientific, educational, medicinal etc. usage of Bhang in the State of Chhattisgarh, namely: -

RULES

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Bhang Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Approved medical practitioner" means—

- (i) a person registered under any law for the time being in force in a register meant for the registration of persons practising allopathic, homeopathic, biochemic, ayurvedic, or unani system of medicine or dentistry or surgery at that point of time; or
 - (ii) a person who holds a diploma or certificate of such veterinary college or Institute as may be recognised in this behalf by a general or special order of the State Government; or
 - (iii) any other person engaged in medical or veterinary practice and approved by the Excise Commissioner;
- (b) "Act" means the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) as amended from time to time;
 - (c) "Bhang" means same as defined in sub-section (12) of Section 2 of the Act;
 - (d) "Bhang Ghota" means same as defined in sub-section (12) of Section 2 of the Act;
 - (e) "Collector" means Chief Officer, in charge of Revenue Administration of the district;
 - (f) "Excise Commissioner" means Excise Commissioner as appointed or defined under the Act;
 - (g) "Excise Officer" means an officer as appointed or defined under the Act, who is not below the rank of Sub-Inspector Excise;
 - (h) "Excise Year" means, financial year commencing from 1st April to 31st March of next calendar year;
 - (i) "License" means, license/ licenses approved under these rules;
 - (j) "Licensee" means a person, who holds license approved under these rules;
 - (k) "Licencing Authority" means Excise Commissioner or District Collector.
 - (l) "Licensed Premises" means a premises in relation to which any licence has been issued under these rules;
 - (m) "Prescribed Forms" means forms appended to these rules.

- (n) "Storehouse" means the bhang storehouse belonging to the State, and "Officer" means the officer in charge of that storehouse;
- (o) "Warehouse" means a place licensed or established as a warehouse by the Excise Commissioner under clause (d) of Section 14 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on use of Bhang.- Bhang shall not be used except for the purpose herein specified:-

- (1) For the personal use and wholesale and retail sale as approved under these rules;
- (2) Any sweet making, scientific, industrial, medicinal, educational or any other similar purpose, as the Excise Commissioner may, from time to time, determine.

4. License and permit.- (1) The following Forms are prescribed for License, Permits and application letter under these rules: -

S.No.	Form No.	Description
1.	Form H-D 1 (Under rule 5)	License for wholesale possession and sale of Bhang
2.	Form H-D 1(A) (under rule 5)	Form of Application for license under Form H-D 1
3.	Form H-D 2 (Under rule 6)	License for retail sale and possession of Bhang/ Bhang Ghota
4.	Form H-D 2(A) (Under rule 6)	Form of Application for license under Form H-D 2
5.	Form H-D 3 (Under rule 7)	Licence for possession and use of bhang for any purpose other than licence for wholesale and retail sale of bhang
6.	Form H-D 3A (Under rule 7)	Form of Application for license under Form H-D 3
7.	Form H-D 4 (Under rule 8)	License to prepare sweets from Bhang/ Bhang Ghota
8.	Form H-D 4A (Under rule 8)	Form of Application for license under Form H-D 4
9.	Form H-D 5 (Under rule 13)	Import Permit for Bhang
10.	Form H-D 5A (Under rule 13)	Application Form for Import Permit for Bhang under Form H-D 5
11.	Form H-D 6 (Under rule 14)	Permit for export of Bhang
12.	Form H-D 6A (Under rule 14)	Application Form for Permit under Form H-D 6
13.	Form H-D 7 (Under rule 15)	Permit for Transportation of Bhang
14.	Form H-D 7A (Under rule 15)	Application Form for Permit for transportation under Form H-D 7
15.	Form H-D 8 (Under rule 31)	Form for Ledger Account Register of Bhang

(2) The Excise Commissioner shall grant license under Form H-D 1. Rest all the licenses shall be granted by the Collector of concerned District.

(3) The licence under these rules shall be granted only to applicants who are eligible to become licensee under the Act and Rules framed therein.

(4) For the purpose of grant of licences under these rules, an application shall be made in prescribed Form along with application fee of Rs. 500/- (Rs. Five hundred only) per application to be paid separately.

5. Wholesale Possession and Sale of Bhang. - (1) The Licence for Wholesale Possession and Sale of Bhang under these rules may be issued in Form-H.D-1. The number of wholesale sale licensee shall be decided by the State Government. In case of more than one applicant, the licensee shall be decided by lottery system.

(2) Any person who wishes to undertake wholesale possession and sale of Bhang may make application before the Excise Commissioner through concerned Collector as per Form H.D-1(A) prescribed in rule 4.

(3) The Excise Commissioner, on receipt of application under above mentioned sub-rule (2), after being satisfied upon due inquiry, shall issue the license in prescribed Form H.D- 1 on payment of advance annual license fees of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) and furnishing of security deposit as determined.

(4) Renewal of the licence:- On advance payment of fixed licence fees, which may be revised from time to time, the Excise Commissioner may, subject to the good conduct and clean record of the licensee and due obedience of the conditions of the license, provisions of the Act and Rules made thereunder, renew the license every year, issued under sub-rule (3) of rule 5.

6. Retail possession and sale of Bhang/Bhang Ghota.- (1) Under these rules, for the purpose of making available bhang/bhang ghota to bhang customers as per their demands, license under Form-H.D-2 may be issued for Retail sale and possession of Bhang/ Bhang Ghota. The number of retail sale licensee may be decided by the State Government:

Provided that there should be a minimum distance of 5 K.M. between two bhang shops in urban area and 20 K.M. between two bhang shops in rural area.

(2) Any person who wishes to undertake possession and retail sale of bhang may present application in prescribed Form H.D-2(A) under rule 4 to the Licensing Authority.

(3) The Licensing Authority, on receipt of application under above mentioned sub-rule (2) and after being satisfied upon due inquiry, shall grant the license in prescribed Form H.D-2 on payment of advance annual license fees of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakhs only) and furnishing of security deposit as determined.

(4) Renewal of the licence: - On advance payment of fixed licence fees, which may be revised from time to time, the Licensing Authority may, subject to the good conduct and clean record of the licensee and due obedience of the conditions of the license, provisions of the Act and Rules made thereunder, renew the license every year, issued under sub-rule (3) of rule 6.

7. Possession and transportation of Bhang for other purpose.- (1) Under these rules, License in Form H.D-3 may be issued to use bhang for purpose other than possession for Wholesale and Retail Sale of Bhang, i.e. educational, medicinal, treatment purposes etc. The supply of bhang to such licensee shall be made by Licensee of Form H.D - 2.

(2) Any person who wishes to possess and use bhang for purpose other than wholesale and retail sale of bhang, may present application to the Licensing Authority in prescribed Form H.D-3(A) under rule 4.

(3) The Licensing Authority, on receipt of application under above mentioned sub-rule (2) and after being satisfied upon due inquiry, shall issue the license in prescribed Form H.D-3 on payment of advance annual license fees of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only) and furnishing of security deposit as determined.

(4) Renewal of the licence: - On advance payment of fixed licence fees, which may be revised from time to time, the Licensing Authority may, subject to the good conduct and clean record of the licensee and due obedience of the conditions of the license, provisions of the Act and Rules made thereunder, renew the license every year, issued under sub-rule (2) of rule 7.

8. Possession and transportation of Bhang/Bhang Ghota for the purpose of sweet making. - (1) Under these rules, License in Form H.D-4 may be issued to use

bhang/bhang ghotra for purpose of making sweets. The supply of bhang to such licensee shall be made by Licensee of Form H.D – 2.

(2) Notwithstanding any provisions in these rules, if any person wishes to purchase, possess, transport and use bhang for the purpose of only making sweets, may present application to the Licensing Authority in prescribed Form H.D-4(A) under rule 4.

(3) The Licensing Authority, on receipt of application under abovementioned sub-rule (2) and after being satisfied upon due inquiry, shall give the license in prescribed Form H.D-4 on payment of advance annual license fees of Rs. 10,000/- (Rs. Ten thousand only) and furnishing of security deposit as determined.

(4) Renewal of the licence: - On advance payment of fixed licence fees, which may be revised from time to time, the Licensing Authority may, subject to the good conduct and clean record of the licensee and due obedience of the conditions of the license, provisions of the Act and Rules made thereunder, renew the license every year, issued under sub-rule (2) of rule 8.

9. Permit for possession and transport of Bhang for the quantity more than possession limit. - As prescribed under sub-section (1) of Section 16 of the Act, bhang, more than the quantity declared as possession limit, may be possessed and transported under a written permit granted by the Excise Commissioner/ Collector, on payment of a prescribed fee.

10. Period of License and calculation of fees. -(1) No person shall sell bhang unless he holds a license under prescribed Form H.D –1 (as mentioned in rule 5) or prescribed Form H.D-2 (as mentioned in rule 6).

(2) The approved license/licenses under these rules shall be granted for Excise Year i.e. starting from 1st April to 31st March of next calendar year. Any license/licenses if granted in the middle of the Excise Year, its period shall be deemed to end on 31st March.

(3) If any license/ licenses is granted under these rules for any part of Excise Year then the amount of license fees shall be equal to the amount of license fees for that Excise Year.

11. Reduction or increase in the licensed quantity.- The Licensing Authority may, as necessary, reduce or increase the quantity of bhang mentioned in the License/Licenses granted under these rules.

12. Fees on bhang within the State.- A bhang fee of Rs. 50/- (Rs. Fifty only) at the rate of per Kilogram shall be payable under the License/Licenses issued under these rules. The payment of fees on bhang shall be made by the purchaser of bhang. Such payment of fees shall be mandatory, before the procurement of permit of transportation of such bhang.

13. Import.- (1) The Licensee of prescribed Form H.D-1, who wishes to import bhang, shall make an application to Licensing Authority as per Form H.D-5(A), prescribed in rule 4. After due verification of the application and upon satisfaction, the Licensing Authority may issue the permit as prescribed in Form H.D-5.

(2) For the purpose of Import Permit, an amount of Rs. 100/- (Rs. One hundred only) at the rate of per kilogram shall be payable as import fees, which shall be non-refundable.

(3) The Import permit in prescribed Form H.D-5, shall be in four parts and shall be sent as following, namely:-

Part-I – To be kept in the office of the person who issued as office copy.

Part-II – To be sent to the person who is supplying the bhang.

Part-III – To be given to the Applicant, for accompanying with the consignment and on receipt, shall become his records.

Part-IV – To be sent to the Excise Commissioner/Excise Officer of the place from where the bhang is imported.

- 14. Export.-** (1) The Licensee of prescribed Form H.D-1, who wishes to export bhang, shall make an application to Licensing Authority as per Form H.D-6(A), as prescribed in rule 4. After due verification of the application and upon satisfaction, the Licensing Authority may issue the export permit letter as prescribed in Form H.D-6.
- (2) For the purpose of Export Permit, an amount of Rs. 50/- (Rs. Fifty only) at the rate of per kilogram shall be payable as export fees, which shall be non-refundable.
- (3) The Export Permit in prescribed Form H.D-6 shall be in four parts and shall be sent as following, namely:-
- Part-I – To be kept in the office of the person who issued, as office copy.
- Part-II – To be sent to the person who is supplying the bhang.
- Part-III – To be given to the applicant, for accompanying with the consignment and on receipt, shall keep it with his records.
- Part-IV – To be sent to the Excise Commissioner/ Excise Officer of the place where the bhang is exported.
- 15. Permit for Transport: -** (1) Under these rules, any person holding the License of Form H.D-1, H.D-2, H.D-3 and H.D-4, who wishes to transport bhang, shall make an application to Licensing Authority in Form H.D-7(A), prescribed in rule 4 to get Permit before the Licensing Authority.
- (2) The Licensing Authority, on receipt of application under above mentioned sub-rule (1), if considered necessary, after due verification and on satisfaction with the information given and having no objection in giving the Permit, then he may issue the Permit in prescribed Form H.D-7, on deposit of transportation fees of an amount of Rs. 200/- (Rs. Two hundred only) per consignment, in advance
- (3) The Transport permit in prescribed Form H.D-7 shall be in four parts and shall be sent as following, namely:-
- Part-I – To be kept in the office of the person who issued as office copy
- Part-II – To be sent to the person who is supplying the bhang.
- Part-III – To be given to the Applicant, for accompanying with the consignment and on receipt, shall become his records.
- Part-IV – To be sent to the Excise Commissioner/ Excise Officer of the place to where the bhang is transported.
- 16. Person entering storehouse liable to be searched.-** Any person entering the storehouse is liable to be searched on his departure unless he holds a pass from the Officer-in-charge exempting him from such search. Such exemption may at any time be withdrawn.
- 17. Transit losses.-** For any loss during the transit between the store house and godown, when not exceeding thirty-five grams per individual bag (each bag having the capacity of 5 Kilogram), the Excise Officer of District can write off; when exceeding thirty-five grams but not sixty grams per individual bag, the Collector of the District can write off; when exceeding sixty grams then the Excise Commissioner or any officer authorised by him can write-off any losses.
- 18. Issue to retail vendors.-** Issues from warehouses shall be made either in one kilogram or half kilogram bags to retail vendors on pre-payment of duty into the treasury at the rates prescribed by the State Government.
- 19.** Bhang may be issued in one kilogram or half kilogram bags to original manufacturers of medicinal and toilet preparation, and to those holding license under Form H.D-2 on pre-payment of duty at the prevailing rate into the Government treasury.
- 20.** Bhang required by institutions, working under the control of, or under the management of the State Government, may be issued upon pre-payment of duty into the Government treasury at the prevailing rates, as determined by the State Government from time to time, subject to such conditions as imposed. If for some

reason, bhang cannot be procured from the local licensee of Form-H.D-1, bhang can be procured from other supplier holding license under Form-H.D-1 within the state, after written permission from Excise Commissioner.

- 21. Disposal of unfit bhang.-** When any bhang, of two or more than two years old belonging to the State is found unfit for consumption, it shall be destroyed in the manner specified by the Excise Commissioner, for which no compensation shall be payable.
- 22. Import in excess of legal limit of possession.-** The import of bhang unless it is in the personal possession of the importer and not exceeding the quantity which may be possessed without a licence, is prohibited except on behalf of the import by State Government.
- 23. Import of bhang.-** Bhang may be imported to the warehouses of Licensee of Form H.D-1 under the order/permission of the Excise Commissioner. The import of bhang by any other person is absolutely prohibited.
- 24. Export of bhang.-** The export of intoxicating substance specified in sub-clause (i) of clause (12) of Section 2 of the Act is prohibited except towards the State Government. The export of bhang shall be covered under a permit prescribed in Form H.D-6.
- 25. Transmission by post.-** No person other than a servant of the State Government acting in the bona fide execution of his duty shall transmit bhang by post into or within the State.
- 26.** Transmission of bhang by inland post is prohibited.
- 27. Fees rates.-** In the State, the fee payable on bhang before the issuance from the warehouse for sale, shall be, as imposed by the State Government from time to time.
- 28. Storage of bhang and its measurement.-** The licensee who has the license in prescribed Form H.D-1, H.D-2, H.D-3 or H.D-4, where bhang is stored shall keep it clean and in good condition and shall keep certified weights for measurement.
- 29. Details related to removal of bhang and licence.-** (1) Except the quantity prescribed for bhang possession, no licensee shall remove any quantity of bhang stored, out of licensed premises and nor shall allow anyone to do the same.
(2) The licensee shall display the license in licensed premises and also display the details of the license through display board.
- 30. Account of bhang and inspection etc.-** (1) Under these rules, the overall accounts of the bhang stored in the premises of the approved licensee/licensees shall be maintained in prescribed Form H.D-8.
(2) Bhang shall be made available without payment to the inspecting officer for quality check.
(3) The licensee shall maintain an inspection note book for all above purposes which, upon the demand of the inspecting officer shall be made available to him.
(4) On the demand of the inspecting officer, the licensee shall present the Account Register, License, Permit and Inspection Note-book. The licensee shall keep open vessel for storage of bhang in the licensed premises for inspection as required.
- 31. Closure of business.-** If any licensee wants to close his business, then he has to give one-month prior notice before the closure to the Licensing Authority. Upon receipt of such application, the Licensing Authority, after necessary investigation, as per the rules, dispose the application.
- 32. Possession and transportation for domestic work.-** (1) Notwithstanding any rules provided above, any person may without any license or permit may keep bhang only for the purpose of personal use or domestic work in a determined quantity or can transport the same. The quantity of such bhang at a time should not exceed 115 grams at a time.

(2) Bhang shall be purchased for personal use and domestic work only through the licensee of prescribed Form H.D-2 issued under these rules.

33. Loss, its limit and penalty.- (1) Under these rules, the limit of loss in approved license shall be as follows:-

(i) Storage Loss: - The permissible limit of storage loss can be maximum 1% of the total bhang stored at a time.

(ii) Transportation Loss: - Permissible upto maximum 1% of total bhang transported during transportation.

34. Penalties.- At any situation of contravention of any rule of these rules or conditions of any license granted by the licensee, the penalty/fixation fee fixed under the Act or Rules framed therein, may be imposed.

35. Suspension and Cancellation of License.- The Licensing Authority upon the breach of any rule of these rules or provisions of the Act or Rules framed under the Act or Orders issued by the Excise Commissioner, can suspend or cancel the license issued under this rule after providing proper opportunity of hearing.

36. Security Deposit.- For License approved under these rules, every licensee, for the due obedience/compliance of license terms shall provide cash security deposit or bank security deposit (guarantee) equivalent to 25% of fixed license fee. In case of any penalty/fixation fee levied on any license for default/deviation in license terms, than such penalty/ fixation fees shall be immediately payable by him and in case of default the amount of penalty/fixation fees as aforesaid shall be collected as cash security or bank guarantee. In such situation, it shall be mandatory for the licensee to deposit the amount to that extent within 7 days.

37. Removal of difficulties.- In case of dispute or doubt in relation to these rules, the decision/direction passed by the Excise Commissioner shall be final.

38. In case of any unforeseeable situation etc. the losses suffered by the licensee shall not be borne by the Government.

39. Repeal. All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

FORM H.D- 1
(See rule 5)

LICENSE FOR WHOLESALE POSSESSION AND SALE OF BHANG

License No: - Year: -

Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of Annual License Fees of Rs.....(in words)which has been paid in advance, this license is hereby granted to Mr., for the Wholesale Possession and Sale of Bhang, for the period..... to in the Village/town....., Tehsil....., District.....mentioned in the Schedule below mentioned, subject to the following conditions as given below:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall not, without the permission of the Excise Commissioner, keep the Bhang in any place other than the Licensed Premises nor sell it.
2. The licensee shall not, without the written permission of the Excise Commissioner, procure any bhang other than the Bhang purchased in the licensed premises nor keep it.
3. The licensee shall not sell bhang to any person who doesn't have bhang license under prescribed Form H.D-2.
4. The Licensee, during the period of license shall not sell bhang for any purpose other than as specified in rule-3.
5. The licensee shall maintain regular and accurate daily account in the prescribed register and shall present accounts register, inspection note-book, all permits and accounts for inspection on demand by the competent investigating authority.
6. The licensee shall produce the monthly details of opening balance, receipt, sale and closing balance of bhang in the license premises by 7th day of next month, to the Excise Commissioner through the officer in charge of Excise of the concerned district along with such returns and other information as required by Deputy Commissioner Excise, Assistant Commissioner Excise and District Excise Officer.
7. The licensee shall be responsible for the proper maintenance of the premises along with cleanliness and sanitation of all bhang storage vessels and licensed premises.
8. On the contravention of any provision of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) or any rules made thereunder or of any order issued by the Excise Commissioner, this license can be suspended or cancelled by the Licensing Authority.
9. After the issuance of the license, the licensee will be bound by the terms and conditions of license and orders/directions issued by the State Government/Excise Commissioner/Collector/ Deputy Commissioner Excise/Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer.

Date

Licensing Authority

SCHEDULE

Description of Place	Limit of the Licensed Premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date

Verifier
Excise Officer

FORM H.D – 1(A)
(See rules 5)FORM OF APPLICATION FOR LICENSE FOR WHOLESALE
POSSESSION AND SALE OF BHANGSelf-certified
Passport size
photograph of
applicant

To,

Excise Commissioner
Chhattisgarh, Raipur

Subject: - Application for H.D-1 License for wholesale possession and sale of bhang.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):
(2)	Name of Father/ Husband:
(3)	Gender:
(4)	Date of Birth:Age:.....
(5)	Address (a) Permanent Address:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
	(b) Address for correspondence:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	Phone No.....	Mobile No.....
(7)	E-mail ID
(8)	Time span for which license is required
(9)	Details of Application fees deposited:
(10)	Other details:

Signature of the Applicant

The above information is true to the best of my/our knowledge. In the event of above information being found wrong or incorrect, my/our application shall be liable to be cancelled. If above details are found to be wrong or incorrect subsequent to the grant of licence, it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence-fee and security deposit made by me/us, and I/we will have no objection. Apart from this, I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence and criminal charge can be registered against me/us.

Place

Signature of the Applicant

Date

Enclosed:

(1)

(2)

FORM H.D- 2
(See rule – 6)

LICENSE FOR RETAIL POSSESSION AND SALE OF BHANG

License No: -.....

Year: -

Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of Annual License Fees of Rs..... (in words) which has been paid in advance, this license is hereby granted to Mr., for the Retail possession and sale of Bhang, for the period..... to in the Village/ town....., Tahsil....., District.....mentioned in the Schedule below, subject to the following conditions as given below:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall not, without the permission of the Licensing Authority, keep the Bhang in any place other than the Licensed Premises nor shall use it.
2. The Licensee shall not keep any stock of bhang other than bhang purchased from Form H.D-1 licensee in his licensed premises.
3. The licensee shall not, during the period of license, sell bhang for any purpose other than for personal use in Form H.D-3/ H.D – 4 licensee under rule 3.
4. The licensee shall not, for personal use sell more than the amount at a time, determined according to the rule
5. The licensee shall maintain regular and accurate daily account in the prescribed register and shall present accounts register, inspection note-book, all permits and accounts for inspection on demand by the competent investigating authority.
6. The licensee shall, produce the monthly details of opening balance, receipt, sale and closing balance of bhang in the licensed premises, by 7th day of next month to the Excise Commissioner through the officer in charge of excise of the concerned district along with such returns and other information as required by Deputy Commissioner Excise, Assistant Commissioner Excise and District Excise Officer.
7. The licensee shall be responsible for the proper maintenance of the premises and cleanliness and sanitation of all bhang storage vessels and licensed premises.
8. On the contravention of any provision of Chhattisgarh Excise Act, 1915 or any rules made thereunder or of any order issued by the Excise Commissioner, this license can be suspended or cancelled by the Licensing Authority.
9. After the issuance of the license, the licensee will be bound by the the terms and conditions of license and orders/ directions issued by the State Government/ Excise Commissioner/ Collector/Deputy Commissioner Excise/ Assistant Commissioner Excise / District Excise Officer.

Date

Licensing Authority

SCHEDULE

Description of Place	Limit of the Licensed Premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date

Verifier
Excise Officer

FORM H.D – 2(A)
(See rules 6)

FORM OF APPLICATION FOR LICENSE FOR RETAIL POSSESSION AND SALE OF BHANG

Self-certified
Passport size
photograph of
applicant

To,

Licensing Authority

District....., Chhattisgarh

Subject: - Application for H.D- 2 License for retail possession and sale of bhang.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):
(2)	Name of Father/ Husband:
(3)	Gender:
(4)	Date of Birth:Age:.....
(5)	Address (a) Permanent Address:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
	(b) Address for correspondence:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	Phone No	Mobile No.....
(7)	E-mail ID
(8)	Time span during which license is required
(9)	Details of Application fees deposited:
(10)	Other details:

Signature of the Applicant

The above information is true to the best of my/our knowledge. In the event of above information being found wrong or incorrect, my/our application shall be liable to be cancelled. If above details are found to be wrong or incorrect subsequent to the grant of licence, it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence-fee and security deposit made by me/us, and I/we will have no objection. Apart from this, I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence and criminal charge can be registered against me/us.

Place

Signature of the Applicant

Date

Enclosed:

(1)

(2)

FORM H.D- 3

(See rules – 7)

LICENCE FOR POSSESSION AND USE OF BHANG FOR ANY PURPOSE OTHER THAN
WHOLESALE AND RETAIL SALE

License No: -.....

Year: -.....

Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of Annual License Fees of Rs..... (in words) which has been paid in advance, this license is hereby granted to Mr., for possession and use of bhng for any purpose other than wholesale and retail sale, for the period to in the Village/town....., Tahsil....., District.....mentioned in the Schedule below mentioned, subject to the following conditions as given below:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall not, without the permission of the Licensing authority, keep the Bhang in any place other the Licensed Premises nor use it.
2. The Licensee shall not, during period of license at any given point of time, keep in possession more than the maximum quantity as determined.
3. The Licensee shall not keep any stock of bhang other than bhang purchased from H.D-2 licensee in his licensed premises.
4. The licensee shall maintain regular and accurate daily account in the prescribed register and shall present accounts register, inspection note-book, all permits and accounts for inspection on demand by the competent investigating authority.
5. The licensee shall, produce the monthly details of opening balance receipt, sale and closing balance of bhangin the licensed premises by 7th day of next month to the Excise Commissioner through the officer in charge of excise of the concerned district along with such returns and other information as required by Deputy Commissioner Excise, Assistant Commissioner Excise and District Excise Officer.
6. The licensee shall be responsible for the proper maintenance of the premises and cleanliness and sanitation of all bhang storage vessels and licensed premises.
7. Licensee cannot use bhang for any purpose other than
8. On the contravention of any provision of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) or any rules made thereunder or of any order issued by the Excise Commissioner, this license can be suspended or cancelled by the Licensing Authority.
9. After the issuance of the license, the licensee will be bound by the terms and conditions of license and orders/ directions issued by the State Government/ Excise Commissioner/ Collector/Deputy Commissioner Excise/ Assistant Commissioner Excise/ District Excise Officer.

Date

Licensing Authority

SCHEDULE

Description of Place	Limit of the Licensed Premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date

Verifier
Excise Officer

FORM H.D – 3(A)
(See rules 7)FORM OF APPLICATION FOR LICENCE FOR POSSESSION AND USE OF BHANG OTHER
THAN WHOLESALE AND RETAIL SALESelf-certified
Passport size
photograph of
applicant

To,

Licensing Authority

District....., Chhattisgarh

Subject: - Application for H.D- 3 License for possession and use of bhang other than
wholesale and retail sale.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):	
(2)	Name of Father/ Husband:	
(3)	Gender:	
(4)	Date of Birth:	Age:.....
(5)	Address	(a) Permanent Address:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
		(b) Address for correspondence:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	Phone No		Mobile No.....
(7)	E-mail ID	
(8)	Place of storing and using bhang		Residence:Village/Town: TahsilDistrict.....State:.....
(9)	Special reason(purpose) for demand of License:	
(10)	Total amount of bhang to be used during the license year:-	
(11)	Time period for which License is required:-	
(12)	Details of Application fees deposited:	
(13)	Other details:	

Signature of the Applicant

The above information is true to the best of my/our knowledge. In the event of above information being found wrong or incorrect, my/our application shall be liable to be cancelled. If above details are found to be wrong or incorrect subsequent to the grant of licence, it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence-fee and security deposit made by me/us, and I/we will have no objection. Apart from this, I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence and criminal charge can be registered against me/us.

Place

Signature of the Applicant

Date

Enclosed:

(1)

(2)

FORM H.D- 4
(See rules 8)

LICENSE TO PREPARE SWEETS FROM BHANG/BHANG GHOTA

License No: -

Year: -

Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of Annual License Fees of Rs..... (in words) which has been paid in advance, this license is hereby granted to Mr., to prepare sweets from Bhang/Bhang Ghota, for the period..... to in the Village/ town....., Tahsil....., District.....mentioned in the Schedule below mentioned, subject to the following conditions as given below:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall not, without the permission of the Licensing Authority, keep the Bhang in any place other the Licensed Premises nor use it.
2. The Licensee shall not keep stock of any bhang other than bhang purchased from Form H.D-1 licensee in his license premises.
3. The licensee shall not, after purchase of bhang from Form H.D- 2 Licensee, open the consignment during transportation to his licensed premises.
4. The licensee shall not use bhang for any purpose other than for making sweets.
5. The licensee shall maintain regular and accurate daily account in the prescribed register and shall present accounts register, inspection note-book, all permits and accounts for inspection on demand by the competent investigating authority.
6. The licensee shall, produce the monthly details of opening balance receipt, sale and closing balance of bhangin the licensed premises by 7th day of next month to the Licensing Authority through the officer in charge of excise of the concerned district along with such returns and other information as required by Deputy Commissioner Excise, Assistant Commissioner Excise and District Excise Officer.
7. On the contravention of any provision of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) or any rules made thereunder or of any order issued by the Excise Commissioner, this license can be suspended or cancelled by the Licensing Authority.
8. After the issuance of the license, the licensee will be bound by the terms and conditions of license and orders/ directions issued by the State Government/ Excise Commissioner/ Collector/Deputy Commissioner Excise/ Assistant Commissioner Excise / District Excise Officer.

Date

Licensing Authority

SCHEDULE

Description of Place	Limit of the Licensed Premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date

Verifier
Excise Officer

FORM H.D – 4(A)
(See rules 8)

FORM OF APPLICATION FOR LICENCE FOR TO PREPARE SWEETS FROM
BHANG/BHANG GHOTA

Self-certified
Passport size
photograph of
applicant

To,

Licensing Authority

District....., Chhattisgarh

Subject: - Application for H.D- 4 License for preparation of sweets from bhang/ bhang ghota.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):
(2)	Name of Father/ Husband:
(3)	Gender:
(4)	Date of Birth:Age:.....
(5)	Address	(a) Permanent Address: Residence:Village/Town: ... TahsilDistrict.....State:.....
		(b) Address for correspondence: Residence:Village/Town:... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	Phone No	Mobile No.....
(7)	E-mail ID
(8)	Place of storing and using bhang	Residence:Village/Town: TahsilDistrict.....State:.....
(9)	Maximum amount of bhang which is to be determined for one financial year (in Kilograms):
(10)	Time period for which License is required:-
(11)	Details of Application fees deposited:
(12)	Other details:

Signature of the Applicant

The above information is true to the best of my/our knowledge. In the event of above information being found wrong or incorrect, my/our application shall be liable to be cancelled. If above details are found to be wrong or incorrect subsequent to the grant of licence, it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence-fee and security deposit made by me/us, and I/we will have no objection. Apart from this, I/we

am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence and criminal charge can be registered against me/us.

Place
Date

Signature of the Applicant

Enclosed:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

FORM H.D- 5
(See rules 13)

PERMIT FOR IMPORT OF BHANG

[Part I- To be kept in the office of the person who issued, as office copy]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Quantity of bhang to be imported(in Kgs):
(3)	Name of the person from whom bhang is to be imported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Place from which import is to be done:	
(5)	Place to which import is made:	
(6)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(7)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for import of bhang to importer Mr. in the Village/ town....., Tehsil....., District.....	
(8)	Date upto which permit shall remain valid for import:	
(9)	The entire quantity of bhang shall be imported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Dated

Licensing Authority

FORM H.D- 5
(See rules 13)

PERMIT FOR IMPORT OF BHANG

[Part II- To be sent to the supplier of bhang]

(1)	Permit No.:-/.....	Date:
(2)	Quantity of bhang to be imported(in Kgs):
(3)	Name of the person from whom bhang is to be imported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of licence and Number
(4)	Place from which import is to be done:	
(5)	Place to which import is made:	
(6)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(7)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for import of bhang to importer Mr.....in the Village/town....., Tehsil.....District.....	
(8)	Date upto which permit shall remain valid for import:	
(9)	The entire quantity of bhang shall be imported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Dated

Licensing Authority

FORM H.D- 5
(See rules 13)

PERMIT FOR IMPORT OF BHANG

[Part III- To be given to the Applicant, for accompanying with the consignment and on receipt of consignment, shall become his records.]

(1)	Permit No.:-/.....	Date:
(2)	Quantity of bhang to be imported(in Kgs):
(3)	Name of the person from whom bhang is to be imported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Place from which import is to be done:	
(5)	Place to which import is made:	
(6)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(7)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for import of bhang to importer Mr. in the Village/ town....., Tahsil.....District.....	
(8)	Date upto which permit shall remain valid for import:	
(9)	The entire quantity of bhang shall be imported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Dated

Licensing Authority

FORM H.D- 5
(See rules 13)

PERMIT FOR IMPORT OF BHANG

[Part IV- To be sent to the Excise Commissioner/ Excise Officer of the place from where
Import is made]

(1)	Permit No.:-/.....	Date:
(2)	Quantity of bhang to be imported(in Kgs):
(3)	Name of the person from whom bhang is to be imported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Place from which import is to be done:	
(5)	Place to which import is made:	
(6)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(7)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for import of bhang to importer Mr. in the Village/ town....., Tahsil.....District.....	
(8)	Date upto which permit shall remain valid for import:	
(9)	The entire quantity of bhang shall be imported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D – 5(A)
(See rules 13)

APPLICATION FORM FOR PERMIT TO IMPORT BHANG

To,
Excise Commissioner
Chhattisgarh, Raipur

Subject: - Application for Form H.D- 5 Permit to import bhang.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):
(2)	Name of Father/ Husband:
(3)	Gender:
(4)	Date of Birth:Age:.....
(5)	Address	(a) Permanent Address: Residence:Village/Town: TehsilDistrict.....State:.....
	(b) Address for correspondence:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	(A) Phone No	(B) Mobile No.....
(7)	E-mail ID
(8)	Quantity of bhang to be imported (in Kgs): -	
(9)	Name of person from whom bhang is to imported: -	
	Name of Father/Husband:-Age.....
	Residence:	Tansil:-
	District:-	State:-
	Phone Number/Mobile Number/Fax No:-
	E-mail ID:
(10)	Place from which import is to be done:	
(11)	Place to which import is made:	
(12)	Transportation route of consignment during import	
(13)	Time period for import permit:-
(14)	Details of Import fees deposited:
(15)	Other details:

Signature of the Applicant

Enclosed:

- (1)
- (2)

FORM H.D- 6
(See rules 14)

PERMIT FOR EXPORT OF BHANG

[Part I- To be kept in the office of the person who issued, as office copy]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Details Of The No Objection Certificate Issued By The Importing State	
(3)	Name of the licensee:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Quantity of bhang to be exported(in Kgs):
(5)	Name of the person to whom bhang is to be exported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:..... Village/ Town :-..... Tahsil District State
	Type of license and Number
(6)	Place from where export is to be done:	
(7)	Place to which export is made:	
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for export of bhang to exporter Mr. of Village/ town....., Tahsil.....District.....	
(10)	Date upto which permit shall remain valid for export:	
(11)	The entire quantity of bhang shall be exported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D- 6
(See rule 14)

PERMIT FOR EXPORT OF BHANG

[Part II- To be kept with the supplier of bhang]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Detail of the No Objection Certificate issued by the importing state	
(3)	Name of the licensee:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Quantity of bhang to be exported (in Kgs):
(5)	Name of the person to whom bhang is to be exported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age: ... Residence:	Village/Town.....
	Tahsil:..... District.....	State:.....
	Type of license and Number
(6)	Place from where export is to be done:	
(7)	Place to which export is made:	
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for export of bhang to exporter Mr. of Village/ town....., Tahsil.....District.....	
(10)	Date upto which permit shall remain valid for export:	
(11)	The entire quantity of bhang shall be exported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Dated

Licensing Authority

FORM H.D- 6
(See rule 14)

PERMIT FOR EXPORT OF BHANG

[Part III- To be given to the Applicant, for accompanying with the consignment and the receiver on receipt of consignment, shall keep it with his records.]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Detail of the No Objection Certificate issued by the importing state	
(3)	Name of the licensee:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Quantity of bhang to be exported (in Kgs):
(5)	Name of the person to whom bhang is to be exported:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil: District.....	State:.....
	Type of license and Number
(6)	Place from which export is to be done:	
(7)	Place to which export is made:	
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for export of bhang to exporter Mr. of Village/ town....., Tahsil.....District.....	
(10)	Date upto which permit shall remain valid for export:	
(11)	The entire quantity of bhang shall be exported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D- 6
(See rules 14)

PERMIT FOR EXPORT OF BHANG

[Part IV- To be sent to the Excise Commissioner/ Excise Officer of the place to which export is made]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Detail of the No Objection Certificate issued by the importing state	
(3)	Name of the licensee:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age:	Residence:.....
	Type of license and Number
(4)	Quantity of bhang to be exported (in Kgs):
(5)	Name of the person to whom bhang is to be exported:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age: Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil: District.....	State:.....
	Type of license and Number
(6)	Place from which export is to be done:	
(7)	Place to which export is made:	
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places of the states coming on the route of transportation)	
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for export of bhang to exporter Mr. of Village/ town....., Tehsil.....District.....	
(10)	Date upto which permit shall remain valid for export:	
(11)	The entire quantity of bhang shall be exported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D – 6(A)
(See rules 14)

APPLICATION FORM FOR PERMIT TO EXPORT BHANG

To,
Excise Commissioner
Chhattisgarh, Raipur

Subject: - Application for H.D- 6 Permit to export bhang.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):
(2)	Name of Father/ Husband:
(3)	Gender:
(4)	Date of Birth:Age:.....
(5)	Address (a) Permanent Address:	Residence:Village/Town: TahsilDistrict.....State:.....
	(b) Address for correspondence:	Residence:Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	(A) Phone No	(B)Mobile No.....
(7)	E-mail ID
(8)	Quantity of bhang to be exported (in Kgs): -	
(9)	Name of person to whom bhang is to exported: -
	Name of Father/Husband:-Age.....
	Residence:	Tahsil:-
	District:-	State:-
	Phone No./Mobile Number:
	E-mail ID:
(10)	Place from which export is to be done:
(11)	Place to which export is to be done:-
(12)	Transportation route during the export of consignment:-
(13)	Time period for export permit:-
(14)	Details of Export fees deposited for export permit:

(15)	Details of No Objection Certificate issued by the Importing State (Attach the original copy): -	
(16)	Other details:

Signature of the Applicant

Place

Dated

Enclosed:

(1)

(2)

FORM H.D- 7
(See rules 15)

PERMIT FOR TRANSPORTATION OF BHANG

[Part I- To be kept in the office of the Issuing authority, as Office copy]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Name of the Permit Holder	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
(3)	Type of license and Number of the permit holder
(4)	Quantity of bhang to be transported (in Kgs):
(5)	A. Place from where transportation of bhang is to be done:
	B. Place to which transportation of bhang is being done:-
(6)	Name of the person who has been authorized for transportation:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(7)	Name of the person from whom bhang is procured:	Mr.....
	Name of Father/husband
	Age: Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places coming on the route of transportation)	
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 2015) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs.....(in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for transportation of bhang to Mr.of the City.....District.....	
(10)	Date upto which transport permit shall remain valid:	
(11)	The entire quantity of bhang shall be transported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D- 7
(See rule 15)

PERMIT FOR TRANSPORTATION OF BHANG

[Part II- To be sent to the supplier of bhang]

(1)	Permit No.:-	Dated:
(2)	Name of the Permit Holder	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
(3)	Type of license and Number of the permit holder
(4)	Quantity of bhang to be transported (in Kgs):
(5)	A. Place from where transportation of bhang is to be done:
	B. Place to which transportation of bhang is being done:-
(6)	Name and address of the person who has been authorized for transportation:-	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(7)	Name of the person from whom bhang is procured:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places on the route of transportation)
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs (in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for transportation of bhang to Mr.of City.....District.....	
(10)	Date upto which transport permit shall remain valid:
(11)	The entire quantity of bhang shall be transported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Dated

Licensing Authority

FORM H.D- 7
(See rules 15)

PERMIT FOR TRANSPORTATION OF BHANG

[Part III- To be given to the Applicant, for accompanying with the consignment and on receipt of consignment, shall become his records.]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Name of the Permit Holder	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
(3)	Type of license and Number of the permit holder
(4)	Quantity of bhang to be transported (in Kgs):
(5)	A. Place from where transportation is to be done:
	B. Place to which transportation is being done:-
(6)	Name of the person who has been authorized for transportation:-	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(7)	Name of the person from whom bhang is procured:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places coming on the route of transportation)
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs (in words)which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for transportation of bhang to Mr.of City.....District.....	
(10)	Date upto which transport permit shall remain valid:
(11)	The entire quantity of bhang shall be transported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D- 7
(See rule 15)

PERMIT FOR TRANSPORTATION OF BHANG

[Part IV- To be sent to the Excise Officer of the place to where bhang is being transported]

(1)	Permit No.:-	Date:
(2)	Name of the Permit Holder	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
(3)	Type of license and Number of the permit holder
(4)	Quantity of bhang to be transported (in Kilograms):
(5)	A. Place from where transportation is to be done:
	B. Place to which transportation is being done:-
(6)	Name of the person who has been authorized for transportation:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(7)	Name of the person from whom bhang is procured:	Mr.....
	Name of Father/ husband
	Age: ... Residence:.....	Village/Town.....
	Tahsil:	District.....
	Type of license and Number
(8)	Transportation route of consignment (including the names of main places coming on the route of transportation)
(9)	Under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and the Chhattisgarh Bhang Control and Regulation Rules, 2020 made thereunder, and in consideration of an amount of Rs (in words) which has been paid in advance as duty on bhang, this permit is hereby granted for transportation of bhang to Mr.of City.....District.....	
(10)	Date upto which permit shall remain valid:
(11)	The entire quantity of bhang shall be transported in single consignment and the same shall not be opened during transportation.	

Date

Licensing Authority

FORM H.D – 7(A)
(See rules 15)

APPLICATION FORM FOR PERMIT TO TRANSPORT BHANG

To,
The Licensing Authority
District....., Chhattisgarh

Subject: - Application for H.D- 7 Permit to transport bhang.

(1)	Name of the Applicant (Person/ Firm):	
(2)	Name of Father/ Husband:	
(3)	Gender:	
(4)	Date of Birth:	Age:.....
(5)	Address	(a) Permanent Address:	Residence:Village/Town: TahsilDistrict.....State:.....
		(b) Address for correspondence:	Residence:.....Village/Town:..... TahsilDistrict.....State:.....
(6)	(A)Phone No		(B) Mobile No.....
(7)	E-mail ID	
(8)	Type of license and number of the Applicant:	
(9)	Quantity of bhang to be transported (in Kilograms):	
(10)	Name of person from whom bhang is to transported: -	
	Name of Father/Husband:-	Age.....
	Residence:		Tahsil:-
	District:-		State:-
	Type of license and number	
	Phone Number/Mobile Number:	
	E-mail ID:	
(11)	Place from which bhang transportation is to be done:-	
(12)	Place to which bhang transportation is to be done:-	
(13)	Transportation route of consignment during transport:	
(14)	Time period of transport permit:-	

(15)	Details of Application fees deposited:
(16)	Details of fees deposited for Permit for transportation: -
(17)	Other details:

Place

Signature of the Applicant

Date

Enclosed:

(1)

(2).....